न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवडा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 11/2021 अपील (राजस्व)

श्री रामलाल पिता श्री जीता जी गुर्जर निवासी– वारणी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतनलाल कुमावल तहसीलदार साहब, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नाथी पत्नी श्री देवीलाल गुर्जर निवासी– वारणी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्री देवीलाल पिता श्री कसना जी गुर्जर निवासी– वारणी, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. पटवारी हल्का वारणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर(राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बप्रकरण संख्या 01/2020 श्रीमती नाथी बनाम रामलाल तहसीलदार साहब मावली, जिला उदयपुर(राज.)

उपस्थितः– श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री चन्द्रशेखर आमेटा विपक्षी संख्या 2 व 3

निर्णय

दिनांकः–16.08.2021

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के यहा प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा क्षैत्राधिकार के अभाव में होने से अधीनस्थ तहसीलदारजी को भेज दिया। उक्त प्रार्थनापत्र की तामील होने पर प्रार्थी द्वारा विस्तृत जवाब देते हुए क्षैत्राधिकार के अभाव व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से पोषणीय नहीं होने का जवाब प्रस्तुत किया। क्षैत्राधिकार के अभाव का कथन किये जाने से तहसीलदारजी नाराज हो गये व बिना विपक्षी को सुने कमिश्नर रिपोर्ट मंगवा ली गई, प्रमाणपत्र व कमिश्नर रिपोर्ट की आपत्ति को जवाब लिये बिना ही निरस्त कर दिया गया। तहसीलदारजी द्वारा प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

में व्यक्तिगत रूचि ली जाकर कथन किया कि मुकदमा मेरे हाथ में है और तुझे मौके से बेदखल कर विपक्षी सं. 2 व 3 के पक्ष में निर्णय प्रदान करना है। प्रकरण में 2–3 दिन की पेशियां ही दी जा रही है। प्रार्थी को अनसुना किया जा रहा है। तहसीलदारजी द्वारा प्रकरण में जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है उससे प्रार्थी को स्पष्ट अंदेशा है कि उनके द्वारा न्याय किया जाना संभव नहीं है। राजनैतिक दबाव में प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है। उनके रवैये से विपक्षी अति आत्मविश्वास में प्रार्थी को ऐलानिया धमकिया दे रहे है। प्रकरण में न्याय की उम्मीद शेष नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार मावली के न्यायालय से अन्य तहसीलदारजी के न्यायालय में स्थानांतरित फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार मावली द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 श्रीमती नाथी पत्नी श्री देवीलाल व अन्य द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि पर जाने वाले रास्ते को खुलवाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय मावली द्वारा आदेशित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिस पर प्रार्थना पत्र पर ही आवश्यक कार्यवाही करते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक पलानाकलां से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा मनगंढत आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री मनीष शर्मा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार निवेदन किया कि विपक्षीयां श्रीमती नाथी पत्नी देवीलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में कार्यवाही प्रार्थी को बिना सुने की जा रही है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा व्यक्तिगत रूचि ली जा रही है। तहसीलदारजी द्वारा प्रकरण में जिस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है उससे प्रार्थी को स्पष्ट अंदेशा है कि उनके द्वारा न्याय किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदारजी किसी भारी राजनैतिक दवाब से उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है। विपक्षी संख्या 2 व 3 हर बार सुनवाई के अलावा भी उनके चेम्बर में उपस्थित रहते है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दे रहा है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी का निष्पक्ष व ईमानदार तथा बिना प्रभावित हुए कार्य करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अन्यत्र पीठासीन अधिकारी को स्थानांतरण फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आमेटा द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य मनगंढत, आधारहीन, [illegible] किये है। वास्तविकता यह है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested

कि वादग्रस्त आराजीयात में दोनों भाईयों का हक हिस्सा निहित होकर 1/4 हिस्सा तय है। इस भूमि के बटबाडें का वाद भी चल रहा है। दोनों सगे भाई है। सिविल न्यायालय मावली में भी 2018 से वाद चल रहा है। हमारे द्वारा निमयानुसार रास्ता निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा तहसीलदार मावली को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक पलानाकलां से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। सही रिपोर्ट रेकार्ड पर आने से प्रकरण में विलम्ब करने के प्रयोजन से यह आधारहीन प्रार्थना पत्र पत्रावली स्थानांतरण का न्यायालय आपको प्रेषित किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता निर्धारण हेतु सुनवाई का अधिकार तहसीलदार को है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल कुमावत तहसीलदार मावली पर अनावश्यक पदीय आरोप, राजनैतिक दवाब व विपक्षी संख्या 2 व 3 को प्रार्थी के अनुपस्थिति में चेम्बर में मिलना आदि आक्षेप प्रार्थी द्वारा लगाये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का विनम्र मत है कि जब किसी पीठासीन अधिकारी पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आक्षेप प्रकरण में लगाया जाता है तो उस परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी को स्वतः ही उस प्रकरण की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निष्पक्ष न्याय हेतु अन्य पीठासीन अधिकारी को हस्तानांतरण किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में उभयपक्ष द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली के पास विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2020 विविध (रास्ता) अनवानी श्रीमती नाथी बनाम रामलाल को उपतहसीलदार सनवाड़ को वास्ते सुनवाई हस्तानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपतहसीलदार सनवाड़ उक्त प्रकरण की पत्रावली प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, पक्षकारों को विधिवत सुनवाई, साक्ष्य सबूत के आधार पर अपना आदेश प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 31.08.2021 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली एवं उपतहसीलदार सनवाड़ को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:35 IST
Reason: SelfAttested